

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक
सेवा में,

1280

/14-1(एन0एच0-330डी)

हरदोई

दिनांक-

20-9-2022

अधिशायी अभियन्ता,
एन0एच0 डिवीजन, लोक निर्माण विभाग,
कानपुर।

विषय:-

जनपद हरदोई के अर्न्तगत सीतापुर-प्रतापनगर-कुरियन (एन.एच.-330 डी) मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग व बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-
महोदय,

आनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/146875/2021

उपरोक्त विषयक आनलाइन प्रस्ताव द्वारा जनपद हरदोई के अर्न्तगत सीतापुर-प्रतापनगर-कुरियन मार्ग (एन.एच.-330 डी) किमी0-0.0 से 38.800 किमी0 की दूरी में मार्ग चौड़ीकरण व सुदृढीकरण में बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु आफलाइन प्रस्ताव 05 प्रतियों में इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। मार्ग चौड़ीकरण का कार्य संरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 28.707 हे0 भूमि जनपद-सीतापुर में तथा हरदोई वन प्रभाग में 8.28 हे0 कुल 36.987 हे0 भूमि पर गैरवानिकी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। विषयगत प्रस्ताव के आनलाइन भाग-1 में किमी0-0.0 से किमी0-38.853 का उल्लेख है जबकि आफलाइन प्रस्ताव में किमी0-0.0 से किमी0-38.800 अंकित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रस्ताव के किमी0-0.0 से किमी0-38.853 सही है अथवा किमी0-0.0 से किमी0-38.800 तदनुसार आनलाइन भाग-1 में संशोधित करने का कष्ट करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(रविशंकर शुक्ल)

प्रभागीय निदेशक,

सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।

पत्रांक-1280/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ।

(रविशंकर शुक्ल)

प्रभागीय निदेशक,

सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।